FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
20/11/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण को जवाब हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब नहीं देने पर अप्रार्थीगण को जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा निहित है। मौके पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के पिता व अप्रार्थी सं. 8 के पति ने गैर विधिक तरीके से भूमि अपने नाम दर्ज करवा कर बेचान कर दिया है। दुर्गादान ने गलत राजस्व दस्तावेजात के आधार पर भूमि का बेचान कर दिया है जो विधिविरुद्ध है। दुर्गादान द्वारा किये गये शुरू से ही शून्य एवं प्रभावहीन है। अत: अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8, 14 ता 22 के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी ग्राम गाडना प.ह. बड़ी सिड़ तह. ख.न. 157 रकबा 490-13 बीघा भूमि में से प्रार्थीगण के पैतृक हिस्से की भूमि ख.न. 2936/9813 के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद रखवाने की कृपा करावे। वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 20.11.24	

सहायक [illegible]क्टर
बाप (फलोदी)